न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 08 / 2024

प्रार्थीगण

1. कृष्णराम पुत्र चन्दाराम, उम्र 29 साल,
2. बादलीदेवी पत्नी चन्दाराम, उम्र 75 साल, जातियान मेगवाल, निवासी–गोलिया जीवराज, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आचार पुत्र फतन
2. आमद पुत्र फतन
3. इमाम पुत्र फतन
4. वलीमोहम्मद पुत्र फतन
5. इमामत पत्नी फतन
6. कासम पुत्र साला
7. हसन पुत्र साला
8. खाकु पुत्र नुरा
9. हुसैन पुत्र नुरा, उम्र–व्यसक, जातियान सिन्धी मुसलमान, निवासी–तालबाणियों की ढाणी, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा
10. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 01 से 9 एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– [illegible].12.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 96 क्षेत्रफल 54.4686 हैक्टर ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 9 के खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

संख्या 111 रकबा 12.6609 हैक्टयर ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज भूमि आये हुए है। प्राथीगर्ण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 9 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 09 भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 111 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 9 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थितं हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 96 क्षेत्रफल 54.4686 हैक्टर ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 9 के खेत खसरा संख्या 111 रकबा 12.6609 हैक्टयर ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 9 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 09 भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:52 IST
Reason: SelfAttested

4.विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 96 क्षेत्रफल 54.4686 हैक्टर ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी से सड़क मार्ग के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 9 के खेत खसरा संख्या 111 रकबा 12.6609 हैक्टयर ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 3287/16.12.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज की खसरा संख्या 96 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 111 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 09 को न्यायालय से जरियें रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 9 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली-भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे अथवा प्रार्थी की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 111 में लम्बाई 204 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.2476 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि-340000/- रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी [illegible] नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम टूंकिया पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 111 में लम्बाई 204 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.2476 हैक्टयर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ---दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थी संख्या 01 से 09 को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांक भू.अ. /वाद/2024/3287 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 13:09:52 IST
Reason: SelfAttested